

न्यायालय :- संतोष ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग, जिला दुर्ग

--::--रिमाण्ड--आदेश --::--

क्रमांक क्यू / सी0जे0एम0 / 2023

दुर्ग, दिनांक 30.09.2023

दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि कंडिका-02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके नाम के समक्ष कंडिका-03 में उल्लेखित सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित रहकर मध्याह्न 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उस दिन उनके समक्ष पेश होने वाले आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यों को निष्पादित करेंगे।

--::--माह अक्टूबर 2023 --::--

| क्र० | मजिस्ट्रेट का नाम | माह अक्टूबर 2023 रिमाण्ड ड्यूटी तिथि |
|------|---|---|
| 01 | 02 | 03 |
| 01 | श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग | 01.10.2023 |
| 02 | श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग | 02.10.2023 |
| 03 | श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग | 08.10.2023 |
| 04 | श्री डी.एन. ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग | 14.10.2023 |
| 05 | कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग | 15.10.2023 |

नोट:-

(01) यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं, तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

(02) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मालखाना में निर्णीत संपत्ति का भी निराकरण करेंगे।

(03) रिमाण्ड दिवसों में कार्य अधिक्य की स्थिति में सहयोग हेतु उपरोक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त अन्य मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगायी जा सकेगी और इस हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटों को मौखिक रूप से निर्देशित किया जा सकेगा ।

(04) माह “ अक्टूबर 2023 ” में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में **उस दिन का रिमाण्ड ड्यूटी करेंगी।**

(05) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ या राज्य न्यायिक अकादमी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम या ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित होने पर मुख्यालय में कार्यरत रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भिलाई-3 एवं पाटन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों में रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(07) रिमाण्ड ड्यूटी के समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

(संतोष ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।
- (2) कुं0 / श्री0 / श्रीमती..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (3) जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, की ओर सूचनार्थ कि रिमाण्ड ड्यूटी के दिन किसी एक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी लगावे ।
- (4) मालखाना नाजिर, दुर्ग को कर्मचारियों सहित संपत्ति के निराकरण हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ ।
- (5) नजारत विभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (6) प्रत्येक न्यायालय के कोर्ट मोहर्रर को रिमाण्ड ड्यूटी के दिन रिमाण्ड न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
- (7) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- (8) रक्षित निरीक्षक, दुर्ग की ओर रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित कोर्ट मोहर्रर की कोर्ट में उपस्थिति बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(संतोष ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग

